

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: SEPTEMBER 24, 2019

No. 3400 /Admin. (Services)/2019

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 555/II-4-2019-32(1)/2016 T.C. dated 11.09.2019, Sushri Jyotsna Mani Yaduvanshi, candidate of Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Agra vice Sushri Anukriti Sant.

No. 3401 /Admin. (Services)/2019

Sushri **Anukriti Sant**, Judicial Magistrate, First Class, Agra to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Agra in the vacant court.

BY ORDER OF THE COURT

sd/-

(MAYANK KUMAR JAIN)
REGISTRAR GENERAL

No. 493/Admin. (Services)/2019: Allahabad: Dated: September 24, 2019

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow with requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. All the District & Sessions Judges subordinate to High Court of Judicature at Allahabad alongwith photocopy of U.P. Government Appointment/Notification Nos. 555/II-4-2019-32(1)/2016T.C. dated 11.09.2019 (Information available on E-mail).

The concerned District & Sessions Judges subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad are directed that to permit the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The concerned District & Sessions Judges subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad are directed to make arrangement

for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidates of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance to the circular letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

8. The newly selected candidate Civil Judge, Junior Division

1.	Sushri Jyotsna Mani Yaduvanshi D/o Sri Vinod Kumar Yaduvanshi, R/o 38 Village Dariyapar, PO- Dabha, Tehsil - Kol, PS- Akrabad, District- Aligarh.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You shall proceed to take over charge of your place of posting immediately. Court's Notifications have been sent to you by speed/registered post and it is also available on official website of Hon'ble Court i.e. www.allahabadhighcourt.in.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that your appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until you are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. You shall be subjected to general condition of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 555/II-4-2019-32(1)/2016 T.C. dated 11.09.2019.

9. The Joint Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad.
10. The Joint Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
11. The Officer on Special Duty (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad.
12. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
13. The Section Officer (Admin. A-3) Section, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
16. P.S. to Hon'ble Judges, with the request to place this notification before the Hon'ble Judges sitting at Allahabad & Lucknow for their Lordship's kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

sd/-
(ATUL SRIVASTAVA)
REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-555/दो-4-2019-32(1)/2016टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 11 सितम्बर, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2016 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी (अनुक्रमांक-033795) पुत्री-श्री विनोद कुमार यदुवंशी, निवासी-38 ग्राम दरियापुर पो0 डाभा, थाना अकराबाद, जनपद-अलीगढ़ को वेतनमान रूपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करते हैं।

2- सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

संख्या :-555/दो-4-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये प्रपत्रों (संलग्नकों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करती हैं, तो उस स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति तथा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्धे कराने का कष्ट करें।
- (3) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।

-2-

- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-68/9/ई-3/2016-17 दिनांक 13-12-17 के सन्दर्भ में।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
- (7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेशों के अनुसार मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं है, तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाती हैं तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगी।

सुश्री ज्योत्सना मणि यदुवंशी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

- (9) अनुभागीय गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
विशेष सचिव।